JHARKHAND SKILL DEVELOPMENT MISSION
(An autonomous institution under Dept. of Higher, Technical Education and Skill Development)
Shram Bhawan, Doranda, Ranchi – 834002, Phone : 0651-2481644
Email ID - skilljharkhand@gmail.com Website- www.skilljharkhand.org

आदेश

आ0 सं0 377 राँची, दिनांक – 26/07/17

झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाईटी अंतर्गत संचालित सभी कौशल प्रशिक्षण योजनाओं के सफल क्रियान्यवन एवं प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं के भुगतान हेतु निम्न दिशानिर्देशों का अनुपालन प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं, लेखा शाखा एवं operation प्रशाखा, झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाईटी द्वारा किया जाना आवश्यक है–

i. प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं द्वारा आवासीय प्रशिक्षण केन्द्रों पर संचालित आवासीय प्रशिक्षण के लिए आवसीय खर्च (Hostel Expense) का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा। प्रशिक्षण सेवा प्रदाता के द्वारा विपत्र मिशन सोसाईटी में उपलब्ध कराना होगा। इसके लिए प्रशिक्षण सेवा प्रदाता द्वारा Hunar Portal पर Request अंकित किया जाएगा।

ii. जिन प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं का बैच इस आदेश के प्रभावी होने की तिथि के उपरांत approve किया जाएगा उनके लिए आवासीय खर्च का भुगतान निम्नवत किया जाएगा–

   a. प्रशिक्षण सेवा प्रदाता को आवासीय खर्च (Hostel Expense) का भुगतान बायोमेट्रिक उपस्थिति के अनुसार किया जाएगा। आवासीय परिसर में बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था अलग से करना अनिवार्य है।

   b. आवासीय खर्च बैच प्रारंभ की तिथि से बैच समाप्ति की तिथि तक देय होगा। किसी भी परिस्थिति में यदि प्रशिक्षण अवधि में अवकाश दिया जाता है तो प्रशिक्षण सेवा प्रदाता द्वारा तीन कार्यदिवस पूर्व हुनर पोर्टल में ticket raise करके झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाईटी के राज्यस्तरीय टीम को सूचित करना अनिवार्य होगा तथा उनकी स्वीकृति के उपरांत ही अवकाश मान्य होगा। रविवार तथा अन्य अवकाश के दौरान आवासीय खर्च का भुगतान बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर देय होगा।

   c. जिस दिन प्रशिक्षण केन्द्रों एवं आवासीय भवन के Hunar Portal पर उपस्थिति बाधित रहेगी उस दिन CCTV फुटेज के आधार पर जिलास्तरीय टीम द्वारा प्रशिक्षणार्थियों की संख्या सत्यापित की जाएगी। अतः प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं द्वारा CCTV फुटेज की व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

iii. आदेश के प्रभावी होने की तिथि के पूर्व निर्गत कार्यादेश के अनुसार संचालित प्रशिक्षण के आवासीय खर्च का भुगतान निम्नवत किया जाएगा–

   आवासीय खर्च बैच प्रारंभ की तिथि से बैच समाप्ति की तिथि तक देय होगा। बैच प्रारंभ से बैच समाप्ति की तिथि के बीच आने वाले रविवार के लिए भी आवासीय खर्च देय होगा। प्रत्येक 6 (छः) दिन के लिए एक दिन (रविवार) का अतिरिक्त भुगतान Man Days के आधार पर किया जाएगा।

iv. द्वितीय किस्त के भुगतान हेतु प्रशिक्षण सेवा प्रदाता द्वारा Sector Skill Council से प्राप्त Assessment Invoice संलग्न करना अनिवार्य है। Assessment Invoice नहीं पाये जाने पर भुगतान नहीं किया जाएगा।

v. द्वितीय किस्त के भुगतान हेतु प्रथम किस्त के भुगतान की गई राशि का utilization certificate की अनिवार्यता को पूर्वव्यापी प्रभाव से विलोपित किया जाता है।

vi. आवसीय प्रशिक्षण के लिए न्यूनतम प्रशिक्षण अवधि 8 घंटा एवं गैर आवासीय प्रशिक्षण के लिए न्यूनतम प्रशिक्षण अवधि 4 घंटे की होगी।

vii. सभी प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं को Batch approval के पूर्व प्रशिक्षणार्थियों का कागजात JPG/JPEG format में scan कर Hunar Portal पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। इसके बिना Batch approval request मान्य नहीं होगा।

ह0/–
(रवि रंजन)
मिशन निदेशक
झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाईटी

ज्ञापांक –झा0कौ0वि0मि0–439/2017–................ राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि–सभी संबंधित प्रशिक्षण सेवा प्रदाता/सभी जिला कौशल पदाधिकारी/सभी जिला समन्वयक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(रवि रंजन)
मिशन निदेशक
झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाईटी

ज्ञापांक–झा0कौ0वि0मि0–439/2017–919 राँची, दिनांक 26/07/17

प्रतिलिपि–विशेष कार्य पदाधिकारी–II–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/लेखा शाखा/operation प्रशाखा/संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी, झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाईटी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26/7/17
(रवि रंजन)
मिशन निदेशक
झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाईटी